प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका 1758/1998

याचिकाकर्ता:

हिंद मजदूर किसान पंचायत, द्वारा अध्यक्ष, ठेका श्रम की संघर्ष समिति (श्री इंद्रपाल केवट), आयु लगभग 26 वर्ष, ग्राम चंगेरी, पोस्ट परसी, जिला बिलासपुर म.प्र.।

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण:

1) भारत संघ, द्वारा सचिव, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 110001।

2) सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), शहडोल, म.प्र.।

3) महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. का हसदेव क्षेत्र, पोस्ट झगराखण्ड (दक्षिण) कोलियरी, जिला सरगुजा म.प्र.।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थिति:

श्री अवध त्रिपाठी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अजय बरैक, अधिवक्ता श्री एस.के. बेरीवाल, भारत संघ/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एवं 2 के स्थायी अधिवक्ता की ओर से उपस्थित।

श्री पी.एस. कोशी, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 5-3-2008 को पारित)

याचिकाकर्ता साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के श्रमिकों का एक संघ है, जो महाप्रबंधक, हसदेव क्षेत्र एस.ई.सी.एल., जिला सरगुजा द्वारा नियोजित हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, श्रमिक ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमों के तहत 'इन्क्लाइन ओपनिंग' कार्य में लगे हुए थे। श्रमिक संघ ने सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), शहडोल के समक्ष सुलह हेतु विवाद संस्थित किया। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के इस कथन पर कि याचिकाकर्ता का नियोजन ठेकेदार के माध्यम से था और इस प्रकार वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं, न कि एस.ई.सी.एल. के कर्मचारी, इसकी विफलता प्रतिवेदन दिनांक 2-12-1993 को भारत शासन को प्रस्तुत की गई थी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता/संघ को अवसर दिए बिना, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु विवाद को संदर्भित करने से इनकार कर दिया। आदेश दिनांक 8-3-1994 (अनुलग्नक पी/4) निम्नानुसार पठित है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"श्रमिकों को ठेकेदार अर्थात श्री हसानंद मेवानी के लिए और मेसर्स एस.ई.सी. लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा काम पर लगाया गया था। इसलिए, एस.ई.सी. लिमिटेड के प्रबंधन और संबंधित श्रमिकों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध अस्तित्व में नहीं है।"

2) व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की, जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-3-1994 (अनुलग्नक पी/4) को निरस्त किया जाए और विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया जाए।

3) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के प्रकरण को केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित न करने के लिए अलग कर दिया गया है। यह प्रश्न कि क्या याचिकाकर्ता/श्रमिक ठेकेदार द्वारा या एस.ई.सी.एल. के प्रबंधन द्वारा स्वयं नियोजित किये गए थे, एक विवाद उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, प्रकरण के उचित न्यायनिर्णयन के बिना याचिकाकर्ता की शिकायतों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अतः, यह वांछनीय था कि विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को संदर्भित किया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) वर्णित कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 को निर्देशित किया जाता है कि वे इसमें उठाए गए औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु प्रकरण को केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण को यथाशीघ्र, अधिमानतः इस

आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर संदर्भित करें।

वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur